

संभल मस्जिद पर ASI की प्रतिक्रिया

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI)** ने संभल में मुगलकालीन शाही जामा मस्जिद के नयितरण और प्रबंधन के लिये संभल की सविलि कोर्ट से अनुरोध किया है, जिसमें मस्जिद को **संरक्षित वरिष्ठ स्थल** का दर्जा दिया गया है। यह अनुरोध मस्जिद के सर्वेक्षण के लिये कोर्ट की मंजूरी के बाद किया गया है।

मुख्य बिंदु

- **संभल मस्जिद को लेकर विवाद:**
 - 19 जनवरी, 2018 को मस्जिद की प्रबंधन समिति के वरिष्ठ उचित प्राधिकरण प्राप्त किये बिना मस्जिद की सीढ़ियों पर स्टील की रेलिंग लगाने के आरोप में **प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR)** दर्ज की गई थी।
 - ASI ने कहा कि **शाही जामा मस्जिद, जिसे प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 के तहत 1920 में संरक्षित स्मारक के रूप में अधिसूचित किया गया था**, उसके अधिकार क्षेत्र में आती है।
 - ASI ने तर्क दिया कि मस्जिद की प्रबंधन समिति ने अनधिकृत संरचनात्मक संशोधन किये हैं, जो गैरकानूनी हैं और इन्हें प्रतर्बिंधित किया जाना चाहिये।
- **पहुँच और वनियमन:**
 - ASI ने कहा कि मस्जिद तक जनता की पहुँच स्वीकार्य है, लेकिन केवल तभी जब वह ASI नियमों का पालन करे।
 - ASI ने मस्जिद पर पूर्ण नयितरण और प्रबंधन की मांग की है, तथा स्मारक के रखरखाव और इसकी संरचना में किसी भी परिवर्तन को वनियमित करने की अपनी ज़िम्मेदारी पर बल दिया है।
- **न्यायालय द्वारा आदेशित सर्वेक्षण के दौरान हिसा:**
 - 24 नवंबर 2024 को शाही जामा मस्जिद के न्यायालय द्वारा आदेशित सर्वेक्षण के दौरान संभल में **हिसा** भड़क उठी।
 - झड़पों के दौरान चार लोग मारे गए तथा कई अन्य घायल हो गए।
- **न्यायिक आयोग:**
 - हिसा की जांच के लिये 28 नवंबर, 2024 को तीन सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया गया।
 - आयोग यह निर्धारित करेगा कि हिसा स्वतःस्फूर्त थी या पूर्वनियोजित साजिश का हिस्सा थी।
 - जांच में हिसा के कारणों का विश्लेषण किया जाएगा तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिये उपाय सुझाए जाएँगे।
 - इसे दो महीने के भीतर अपने नष्कर्ष प्रस्तुत करने होंगे तथा किसी भी वस्तुतः के लिये सरकार की मंजूरी लेनी होगी।
- **सर्वेक्षण और मंदिर याचिका:**
 - अदालत द्वारा आदेशित सर्वेक्षण एक याचिका से जुड़ा था जिसमें दावा किया गया था कि संभल में **जामा मस्जिद मूल रूप से मोहल्ला कोट पूर्वी में स्थित एक हरीहर मंदिर** था और इसे 1529 में मस्जिद में परिवर्तित कर दिया गया था।
- **ऐतिहासिक संदर्भ:**
 - संभल की जामा मस्जिद **बाबर के शासनकाल (1526-1530) के दौरान बनाई गई तीन मस्जिदों में से एक है।** अन्य मस्जिदों में पानीपत की मस्जिद और अब ध्वस्त हो चुकी बाबरी मस्जिद शामिल हैं।
 - इतिहासकार **हॉवरड करेन ने अपनी कृति, 'The History of the Sultanate of Delhi' में मस्जिद की स्थापत्य कला की विशेषताओं का वर्णन किया है।**
 - करेन ने एक फारसी शिलालेख का उल्लेख किया जिसमें कहा गया है कि बाबर ने अपने सूबेदार **जहाँगीर कुली खान के माध्यम से दिसंबर 1526 में मस्जिद के निर्माण का आदेश दिया था।**

प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम, 1904

- **परिचय:**
 - यह अधिनियम 1904 में ब्रिटिश भारत में **लॉर्ड करेन** के कार्यकाल के दौरान पारित किया गया था।
 - इसका उद्देश्य ऐतिहासिक, पुरातात्विक और कलात्मक महत्त्व के **प्राचीन स्मारकों और वस्तुओं को संरक्षित करना था।**
- **प्रमुख प्रावधान:**
 - इसने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को प्राचीन भारतीय स्मारकों के संरक्षण और पुनरुद्धार का अधिकार दिया।

- **अवेध तसकरी को रोकने** के लिये **पुरावशेषों** की आवाजाही और व्यापार को वनियिमति कयिा गया ।
- नरिदषिट क्शेत्रों में पुरातात्वकि उत्खनन पर नयित्रण का प्रावधान कयिा गया ।
- कुछ मामलों में संरक्षण के लयि प्राचीन स्मारकों के अधगिरहण को सुगम बनाया गया ।

▪ **महत्त्व:**

- एक संरचति कानूनी ढाँचे के तहत भारत की ऐतहिसकि और सांस्कृतकि वरिसत की रक्षा करने में एक आधारभूत भूमकि नभिाई ।
- स्मारक संरक्षण में ASI की ज़मिेदारयिों को बढ़ाया गया ।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/asi-response-on-sambhal-mosque>

